न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7049–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–12–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला भोपाल प्रकरण कमांक 41/सी–132/2015–16.

विकम शिवहरे पुत्र अशोक शिवहरे
निवासी एम.आई.जी. 02
टीला जमालपुरा, भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ....अनावेदक

श्री संजीव जायसवाल, अभिभाषक, आवेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 2/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत कय किये गये 3,75,000/– रूपये के स्टाम्प पेपर वापिस करने हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 41/सी–132/2015–16 दर्ज कर दिनांक 10–12–2015 को आदेश पारित किया जाकर अधिनियम की धारा 49 (ख) के अनुसार मुद्रा पत्र रिफण्ड योग्य नहीं

होने से आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्व मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि खनिज अधिकारी के पत्र दिनांक 4–8–2015 में स्पष्ट उल्लेख है कि विभागीय कार्यवाही में समय लगने के कारण पट्टे का पंजीयन नहीं हो सका । जब कार्यवाही पूर्ण होने पर पट्टे के पंजीयन हेतु दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया तब उनके द्वारा पंजीयन करने से यह कहते हुए इंकार कर दिया गया कि अब केवल ई–पंजीयन होता है, मेन्युअल पंजीयन बन्द हो चुका है, अतः इसमें आवेदक का कोई दोष नहीं है, इसके बावजूद भी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा 3,75,000/– रूपये के स्टाम्प पेपर वापिस नहीं लेने आवेदक को अपूर्णीय क्षति हुई है । यह भी कहा गया कि ई–पंजीयन प्रारंभ होने के बाद भी पुराने मेन्युअल स्टाम्प भी पंजीयन में लेना चाहिए था, जिनका निष्पादन हो चुका है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि खनिज विभाग एवं पंजीयन विभाग में मतभेद होने का खामियाजा आवेदक को भुगतना पड़ रहा है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर मुद्रांक शुल्क वापिस लेने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा क्रय किये गये मुद्रा पत्र टंकित है एवं उन पर खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, अतः उपरोक्त मुद्रा पत्र अधिनियम की धारा 49(ख) के अन्तर्गत रिफण्ड योग्य नहीं होने से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर